ALLEGIANCE CONBUILD PRIVATE LIMITED

11, New Rajdhani Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092
E-mail: vrinda@agarwalassociatesgroup.com Website: www.vrindahomes.in
Registered with UP RERA regn no: UPRERAPRJ 771166 (www.up-rera.in)

APPLICATION FORM FOR BOOKING OF EWS / LIG AT VRINDA HOMES-1, PARK TOWN, INTEGRATED TOWNSHIP, SHAHPUR BAMHETTA, GHAZIABAD

ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0, वृन्दा होम्स–1, पार्क टाउन, इन्टीग्रेटेड टाउनशिप, शाहपुर बम्हैटा, गाजियाबाद के बुकिंग के लिए आवेदन पत्र

1. SOLE/FIRST APPLICANT:
एकल/प्रथम आवेदकः

Affix Passport Size Photograph of the First/Sole Applicant

Mr./Mrs./Ms.
श्री/श्रीमती/कु0
____

S/W/D of ______________________ Nationality ________________
पुत्र/पत्नी/पुत्री राष्ट्रीयता

Residential Status: ☐ Resident ☐ Non-Resident ☐ Foreign National of Indian Origin
आवासीय स्थिति निवासी अनिवासी भारतीय मूल के विदेशी नागरिक

Income Tax Permanent Account (PAN) No. ______________ Aadhaar No. ________________
आयकर स्थायी खाता (पैन) नं. आधार नं.

Residential Address ____
आवासीय पता
____

Tel. No. ____________ Mobile No. ______________ Fax No. ________________
दूरभाष नं0 मोबाईल नं0 फैक्स नं.

Email Address ____
ई–मेल

2. SECOND APPLICANT:
द्वितीय आवेदक

Affix Passport Size Photograph of the First/Sole Applicant

Mr./Mrs./Ms. ____
श्री/श्रीमती/कु0

S/W/D of ______________________ Nationality ________________
पुत्र/पत्नी/पुत्री राष्ट्रीयता

Residential Status: ☐ Resident ☐ Non-Resident ☐ Foreign National of Indian Origin
आवासीय स्थिति निवासी अनिवासी भारतीय मूल के विदेशी नागरिक

Income Tax Permanent Account (PAN) No. ______________ Aadhaar No. ________________
आयकर स्थायी खाता (पैन) नं. आधार नं.

Residential Address ____
आवासीय पता
____

Tel. No. ____________ Mobile No. ______________ Fax No. ________________
दूरभाष नं0 मोबाईल नं0 फैक्स नं

Email Address ____
ई–मेल

3. DETAILS OF THE PROPERTY CATEGORY: EWS ☐ LIG ☐
सम्पत्ति श्रेणी का विवरणः ई0डब्ल्यू0एस0 एल0आई0जी0

EWS Carpet Area (Approx) : 22.642 Sq. Mtrs. / LIG Carpet Area Approx : 31.38 Sq. Mtrs.

ई0डब्ल्यू0एस0 का कारपेट एरिया (लगभग): 22.642 वर्गमी0 / एल0आई0जी0 का कारपेट एरिया (लगभग): 31.38 वर्गमी0

EWS Built-up Area Approx: 25 Sq. Mtrs. / LIG Built-up Area Approx : 35 Sq. Mtrs.

ई0डब्ल्यू0एस0 का निर्मित एरिया (लगभग): 25.00 वर्गमी0 / एल0आई0जी0 का निर्मित एरिया (लगभग): 35.00 वर्गमी0

** 1 Sq. Mtr. = 10.764 Sq. Ft.
** 1 वर्ग मी0 = 10.764 वर्ग फुट

Signature (s) of Applicant (s)

4. Category : ☐ **Reservation categories decided by State Govt. /** ☐ **All other applicants**
श्रेणीः राज्य सरकार द्वारा तय की गई आरक्षण श्रेणियॉं/ अन्य सभी आवेदक

4. PAYMENT PLAN : As per Prospectus
भुगतान विवरण : विवरण पुस्तिका के अनुसार

5. BOOKING AMOUNT:
बुकिंग धनराशिः

☐ Rs.24,800/-(Rupees Twenty Four Thousand & Eight Hundred Only) FOR EWS-Reserved category
रू0 24,800/- (रूपये चौबीस हजार एवं आठ सौ मात्र) ई0डब्ल्यू0एस0 के आरक्षित श्रेणी के लिए

☐ Rs.49,550/- (Rupees Forty Nine Thousand Five Hundred & Fifty Only) FOR EWS other applicants
रू0 49,550/- (रूपये उन्चास हजार पॉच सौ एवं पचास मात्र) ई0डब्ल्यू0एस0 के अन्य आवेदक के लिए

☐ Rs.53,400/-(Rupees Fifty Three Thousand & Four Hundred Only) FOR LIG Reserved category
रू0 53,400/- (रूपये तिरपन हजार एवं चार सौ मात्र) एल0आई0जी0 के आरक्षित श्रेणी के लिए

☐ Rs.1,06,750/-(Rupees One Lakh Six Thousand Seven Hundred & Fifty Only) FOR LIG other applicants
रू0 1,06,750/- (रूपये एक लाख छः हजार सात सौ एवं पचास मात्र) एल0आई0जी0 के अन्य आवेदक के लिए

I /we have read the Prospectus and transferred the above amount by NEFT Ref no..______________ on date____________ in the Name of “Allegiance Conbuild Private Limited”, Bank Account no. 919020093282601, Branch “INDIRAPURAM (GHAZIABAD)” IFSC Code “UTIB0000636”.

मैं/हम विवरण पुस्तिका को पढ़कर उपरोक्त धनराशि का भुगतान एन0ई0एफ0टी0 दिनांक “एलीगियन्स कॉनबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड” के नाम, बैंक खाता संख्या 919020093282601 शाखा इन्दिरापुरम (गाजियाबाद) आई0एफ0एस0सी0 कोड “UTIB0000636” के द्वारा कर दिया है।

** 1 Sq. Mtr = 10.764 Sq. Ft.
** 1 वर्ग मी0 = 10.764 वर्ग फुट

Declaration:
घोषणाः

- I / We, the applicant (s) do hereby declare that by this Application Form, I / We accept and agree to abide by the terms and conditions of the Prospectus as stated herein (refer pages ___ to ___).
  मै/हम, आवेदक एतद्द्वारा घोष्णा करते है कि इस आवेदन पत्र द्वारा, मै/हम, विवरण पुस्तिका के नियम एवं शर्तों को स्वीकार करते है एवं पालन करेंगे (सम्बध पेज नं0 ....से ....तक)
- The above particulars / confirmation given by me / us by signing all terms & conditions herein are true and correct and nothing has been concealed thereof.
  उपरोक्त विवरण/पुष्टि एवं सभी नियम एवं शर्तें जो मेरे द्वारा दी गई है और हस्ताक्षरित की गई है, सत्य एवं सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
- I / we do hereby agree that, if I / we am / are not allotted the Flat, the company may refund my / our registration amount as per terms and conditions of the prospectus as per below mentioned bank details:
  मै/हम, सहमत है कि यदि मुझे/हमको फ्लैट आवंटित नहीं होता है, तो कम्पनी नीचे उल्लिखित बैंक के अनुसार विवरण पुस्तिका के नियम एवं शर्तों के अनुसार मेरी/हमारी पंजीकरण धनराशि वापस कर सकती है।

  Account Holder Name (As per Bank):____
  खाताधारक का नाम (बैंक के अनुसार)

  Bank account no.____
  बैंक खाता संख्या

  Bank Name & Branch ____
  बैंक का नाम एवं शाखा

  IFSC Code ____
  आई0एफ0एस0सी0 कोड

- I / we have paid registration amount of Rs.____________/- in favour of the company.
  मै/हम पंजीकृत धनराशि रू0 कम्पनी के पक्ष में अदा कर चुके है।

Date: ______________
दिनांक

Place: _____________
स्थान

Signature (s) of Applicant (s)

वृन्दा होम्स–1

उत्तर प्रदेश शासन की नीति के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा स्वीकृत ''पार्क टाउन'', इन्टीग्रेटेड टाउनशिप ग्राम शाहपुर बम्हैटा एवं महरौली परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद में मैसर्स एलीगियन्स कॉनबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा **''वृन्दा होम्स–1''** के नाम से निर्मित किये गये आर्थिक रूप से दुर्बल आय वर्ग (EWS) के परिवारों के लिए 24 भवन एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के परिवारों के लिए 24 भवन, कुल 48 भवनों की आवासीय योजना

पंजीकरण प्रारम्भ दिनांक 28.08.2021 से दिनांक 27.09.2021 तक

रेरा पंजीकरण संख्या UPRERAPRJ 771166

दुर्बल आय वर्ग (EWS) श्रेणी के भवन का मूल्य रू0 4,95,000/–

अल्प आय वर्ग (LIG) श्रेणी के भवन का मूल्य रू0 10,67,000/–

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित योजनाओं में 10 प्रतिशत दुर्बल आय वर्ग (EWS) व 10 प्रतिशत अल्प आय वर्ग (LIG) के भवन निर्मित किये जाने का प्रावधान है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश शासन की नीति के अनुसार मैसर्स एलीगियन्स कॉनबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड द्वारा योजना में निर्मित भवनों का पंजीकरण खोला जा रहा है। योजना की विशेषताऐं/विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं0 सं0	योजना का नाम	सम्पत्ति श्रेणी	भवन का मूल्य (रू0 में)	अधिकतम वार्षिक आय (लाख में)	अनुमानित कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	अनुमानित बिल्टअप क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	पंजीकरण राशि (रू0 50 पंजीकरण शुल्क सहित) रू0 में		भवनों की संख्या
							राज्य सरकार द्वारा घोषित आरक्षित श्रेणी हेतु (रू0 में)	अन्य सभी आवेदकों हेतु (रू. में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पार्क टाउन, इन्टीग्रेटेड टाउनशिप	दुर्बल आय वर्ग (EWS)	4,95,000/–	3.00	22.642	25.00	24,800/–	49,550/–	24
2.		अल्प आय वर्ग (LIG)	10,67,000/–	6.00	31.38	35.00	53,400/–	1,06,750/–	24

आवेदन कैसे करें: दुर्बल आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के लिये आवेदन पत्र प्रोजेक्ट की वेबसाईट www.vrindahomes.in अथवा विकासकर्ता के ऑफिस 11, न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, (प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन के पास) दिल्ली–110092 से प्राप्त किये जा सकते हैं।

मैसर्स एलीगियन्स कॉनबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड

CIN: U45400DL2007PTC161625

कार्यालय: 11, न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली–110092

ई–मेल: vrinda@agarwalassociatesgroup.com

मो0 नं0: 9710302222

Vrinda Homes -1

Residential Scheme of total 48 flats, in which 24 flats for Economic Weaker Section (EWS) families & 24 flat for Lower Income Group (LIG) families constructed by M/s Allegiance Conbuild Private Limited in the name of **"VRINDA HOMES-1"** situated at "Park Town" Integrated Township**,** Village Shahpur Bamheta & Mehrauli, Pargana Dasna, Tehsil & District Ghaziabad, Uttar Pradesh, approved by Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad under the policy of Government of Uttar Pradesh.

Registration commenced from dated 28.08.2021 till dated 27.09.2021.

RERA Registration No. – UPRERAPRJ 771166

Economic Weaker Section (EWS) Flat Price Rs. 4,95,000/-

Lower Income Group (LIG) Flat Price Rs. 10,67,000/-

Under the policy framed by State Government of Uttar Pradesh, there is a provision that out of the scheme developed by the private developers, 10% of flats for Economic Weaker Section (EWS) and 10% of flats for Lower Income Group (LIG) are to be constructed. The registration is being opened for the flats constructed by M/s Allegiance Conbuild Private Limited. The specifications/details of scheme are as under:-

SL. No.	Scheme Name	Property Category	Price of Flat (in Rs.)	Max. Yearly Income (in Lakh)	Carpet Area Approx. (Sq. Mtr.)	Built-up Area Approx. (Sq. Mtr.)	Registration Amount (Including Registration Fees of Rs. 50/-) (in Rs.)		No. of Flats
							Reservation Categories decided by the State Govt. (Rs.)	For all other applicants (Rs.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Park Town, Integrated Township	Economic Weaker Section (EWS)	4,95,000/-	3.00	22.642	25.00	24,800/-	49,550/-	24
2		Lower Income Group (LIG)	10,67,000/-	6.00	31.38	35.00	53,400	1,06,750/-	24

<u>How to Apply:</u> Application form for Economic Weaker Section (EWS) and Lower Income Group (LIG) may be obtained from project website www.vrindahomes.in or from the office of the Developer at 11, New Rajdhani Enclave, Vikas Marg, (Near Preet Vihar Metro Station) Delhi- 110092.

M/s Allegiance Conbuild Private Limited
CIN: U45400DL2007PTC161625
Office: 11, New Rajdhani Enclave, Vikas Marg, Delhi- 110092
E-Mail: vrinda@agarwalassociatesgroup.com
Mo. No. 9710302222

आवेदन फार्म एवं पंजीकरण पुस्तिका

Application Form & Registration Booklet

पंजीकरण प्रारम्भ दिनांक 28.08.2021 से दिनांक 27.09.2021 तक

Registration commenced from dated 28.08.2021 till dated 27.09.2021

मैसर्स एलीगियन्स कॉबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड
11, न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, (प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन के समीप),
दिल्ली–110092

M/s ALLEGIANCE CONBUILD PRIVATE LIMITED
11, NEW RAJDHANI ENCLAVE, VIKAS MARG,
(ADJACENT TO PREET VIHAR METRO STATION) DELHI-110092

1.00	योजना का नाम		1.00	Name of Scheme
	उत्तर प्रदेश शासन की नीति के अन्तर्गत, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा स्वीकृत ''पार्क टाउन'' इन्टीग्रेटेड टाउनशिप, ग्राम शाहपुर बम्हैटा एवं महरौली, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद में **''वृन्दा होम्स –1''** के नाम से दुर्बल आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के परिवारों के लिए भवनों के आंवटन हेतु पंजीकरण			Registration for allotment of flats for the families of Economic Weaker Section (EWS) and Lower Income Group (LIG) in the name of **“VRINDA HOMES-1** situated at Park Town Integrated Township Village Shahpur Bamheta & Mehrauli, Pargana Dasna, Tehsil & District – Ghaziabad, Uttar Pradesh, approved by Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad under the policy of Government of Uttar Pradesh.
2.00	योजना का कोड		2.00	The Code of Scheme
	''वृन्दा होम्स–1'' ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0 (स्टिल्ट + 4 मंजिला योजना)			**“VRINDA HOMES-1”** EWS/LIG (Stlit+4 Story Scheme)
3.00	योजना का विवरणः		3.00	Details of Scheme:
3.10	स्थितिः		3.10	Location:
	पार्क टाउन, इन्टीग्रेटेड टाउनशिप ग्राम			PARK TOWN, Integrated Township

	शाहपुर बम्हैटा एवं महरौली परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद, उ0प्र0। उक्त योजना प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में स्थित है।			Village Shahpur Bamheta & Mehrauli, Pargana Dasna, Tehsil & District Ghaziabad, Uttar Pradesh. The above these scheme is situated in the development area of the authority.
3.20	भवनों का अनुमानित क्षेत्रफलः		3.20	Estimated Area of Flats:
	भवनों का क्षेत्रफल तालिका संख्या 1 के कॉलम संख्या 6 एवं 7 में दर्शाया गया है।			Detail of area of flats are given in column number 6 & 7 of table no.-1.
3.30	भवनों की संख्याः		3.30	Number of flats:
	भवनों की संख्या का विवरण तालिका संख्या– 1 के कॉलम संख्या 9 में दर्शाया गया है। भवनों की संख्या में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है।			Details of Number of flats are given in column number – 9 of table no.1. Number of flats can be changed without any prior information.
3.40	भवनों का अनुमानित मूल्यः		3.40	Estimated cost of flats:
	भवनों का अनुमानित मूल्य तालिका संख्या–1 के कॉलम संख्या 4 में दर्शाया गया है।			Estimated cost of flats are given in column number -4 of table no.1
4.00	ग्राह्यताः		4.00	Eligibility:
4.10	आवेदक भारत का नागरिक हो।		4.10	The applicant must be a citizen of India.
4.20	योजना में आवेदन करने की तिथि पर आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।		4.20	Applicant should not be less than 18 years on the last date of submission of application form.
4.30	आवेदक या उसके परिवार (परिवार से तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के पास प्रश्नगत अभिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास विकास, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कॉलोनियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए।		4.30	The applicant or his/her family (family means applicant, his wife/her husband and minor children) must not own any residential plot/house in any colony developed by development authority, housing board, Improvement Trust, any local body, co-operative society within National Capital Region. He/she must also not hold more than one plot /house developed by above said bodies in any other city/town of U.P.
4.40	जिन व्यक्तियों नें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के		4.40	Persons who are already registered with the G.D.A. under its schemes may

	अन्तर्गत पहले से ही पंजीकरण करवाया हुआ है, तथा अभी आवंटन नहीं हुआ है ऐसे व्यक्ति भी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करा कर आवेदन कर सकते है किन्तु उन्हें इस योजना के अन्तर्गत अन्य लोगों के समकक्ष ही माना जायेगा। ऐसे आवेदकों को अपने पूर्व पंजीकरण व योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख आवेदन में करना होगा।			also apply under this scheme by paying registration amount, such applicants will be considered at par with others in this scheme. These applicants must clearly mention their old registration number and scheme details.
4.50	यदि किसी व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजना में आवंटन हो जाता है तो वह व्यक्ति आवंटित सम्पत्ति में से मात्र एक सम्पत्ति को ही रख सकता है, अन्य आवंटित सम्पत्तियों के विरूद्ध जमा धनराशि बिना किसी कटौती के वापिस कर दी जायेगी।		4.50	If a person or his/her family gets allotment in more than one scheme, he/she will get full refund of the money deposited for all other properties without any deduction except one which he/she wants to retain.
5.00	आवेदन कैसे करे।		5.00	**How to apply**
	आवेदन–पत्र/विवरण पुस्तिका नियम व शर्तों सहित दिनांक 28.08.2021 से 27.09. 2021 तक विकासकर्ता के ऑफिस 11, न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, (प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन के पास) दिल्ली–110092 में नकद/ड्राफ्ट रू0 300/– के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है तथा आवेदन फार्म से सम्बन्धित आवेदक का फोटो, आधार कार्ड की प्रति, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड प्रति, केन्सिल चैक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य वांछित प्रमाण पत्र के साथ उपरोक्त कार्यालय में कार्य दिवस में (अवकाश को छोड़कर) जमा होगे।			The application form along with terms & conditions will be available from developer's office 11, New Rajdhani Enclave, Vikas Marg, (Near Preet Vihar Metro Station) Delhi- 110092 w.e.f. 28.08.2021 to 27.09.2021 to payment of Rs. 300/- cash/DD only. The Application form duly signed & attached photo, Adhar Card, Income Certificate, Pan Card, Cast Certificate and other applicables documents photocopy submitted at above said office every day (except holiday)
5.10	अपूर्ण अथवा गलत भरे गये आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिये जायेगें।		5.10	Incomplete or Incorrect application froms will be cancelled without making any reference or intimation to the applicant.
6.00	पंजीकरण राशि एवं पंजीकरण शुल्कः		6.00	Registration amount and Registration fee
	तालिका–1 के कॉलम संख्या–8 एवं 9 में दर्शायी गई धनराशि का भुगतान आवेदन			The amount shown in table no.1 column no.8 & 9 has to be submitted

	पत्र के साथ जमा करना होगा। पंजीकरण राशि के साथ रू0 50/– पंजीकरण शुल्क तालिका–1 के कॉलम संख्या–8 एवं 9 में सम्मिलित है। रू0 50/– पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापिस नहीं होगा।			by way of the filled application form. Registration amount Rs. 50/- is included in the figure shown in table-1 coulumn-8 & 9. Registration amount is non refundable.
6.10	आवंटन धनराशिः		6.10	Allotment amount:
	लॉटरी ड्रा के आधार पर सफल आवेदकों को आवंटित भवन के अनुमानित मूल्य का 20 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 2 माह की अवधि के अन्दर ऑन–लाईन अथवा पे–ऑर्डर /बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी, जिसमें आवेदन पत्र के साथ जमा की गई पंजीकरण धनराशि (पंजीकरण शुल्क रू0 50/– को छोड़कर) समायोजित कर ली जायेगी।			Sucsessful candidates in lottery draw have to deposit 20% of the cost of the flats, in cash or bank draft, with in two months from the date of issue of allotment letter. The registration amount (excluding registration fees Rs. 50/-) paid at the time of registration will be adjusted.
6.20	किश्तों का भुगतानः		6.20	Payment of Installments:
	अवांटन पत्र जारी होने के उपरान्त शेष 80 प्रतिशत धनराशि 3 वर्षों में 12 त्रैमासिक किश्तों में 7.5 प्रतिशत ब्याज सहित संलग्न भुगतान प्लान के अनुसार देय होगी। ब्याज को किश्तों में जोड़कर भुगतान विवरण तैयार किया जायेगा। ब्याज की गणना रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी। किश्तों से सम्बन्धित धनराशि नगद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, शाखा स्वास्थ्य विहार, दिल्ली –110092 में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक बैंक में उपलब्ध निर्धारित चालान फार्म पर जमा किया जा सकता है। एवं विकासकर्ता की बेव साईट www.vrindahomes.in पर भी जमा की जा सकती है। डिमाण्ड ड्राफ्ट एलीगियन्स कॉनबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान योग्य होना चाहिए। किसी भी दशा में चैक स्वीकार नहीं किया जायेगा।			After the Allotment, balance 80% amount shall be payable in 3 years in 12 quaterly installments with 7.5% interest as per attached payment plan. The instalments shall be fixed including the interest. Interest shall be calculated in round figure, Instalments can be deposited online developer's web site: www.vrindahomes.in and State Bank of India, Swasthya Vihar, Delhi-110092 on any working day during 10 am to 2 pm on prescribed challan form the bank. Bank Demand Draft/payorder must be in favour of Allegiance Conbuild Private Limited payable at Delhi payment made through cheque will not be accepted.
6.30	आवंटन धनराशि एवं किश्तों के भुगतान हेतु देय राशि की निर्धारित तिथि के बाद		6.30	Grace period of one month shall be given for Payment of allotment

	एक माह की अनुग्रह अवधि दी जायेगी तथापि यदि देय तिथि को किश्त की किसी भी पिछली धनराशि का भुगतान शेष रहता है तो अग्रिम किश्त पर कोई अनुग्रह अवधि नहीं दी जायेगी तथा भुगतान मूल देय तिथि से दुर्बल आय वर्ग हेतु 7.50 प्रतिशत एवं अल्प आय वर्ग हेतु 10.50 प्रतिशत दण्ड ब्याज का भुगतान करना होगा।		amount/ installment after the Due data However. If any previous amount of Installment stands unpaid on the due date, no grace Period will be admissible on the current installment. If the payment is made after grace period,7.50% interest for EWS category & 10.50% for LIG category Shall be payable w.e.f. the original due date of payment Grace period is allowed only for the installments. Applications for extension of time for payment of Allotment and installments amount shall not be entertained.
6.40	एकमुश्त भुगतान पर छूट	6.40	ONE TIME PAYMENT DISCOUNT
	आवंटी द्वारा भवन की कुल कीमत का आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 120 दिनों में अवशेष धनराशि एकमुश्त भुगतान करने पर भवन के कुल मूल्य पर 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।		5% discount will be given in case the balance Payment is made within 120 days from the issuing Date of the allotment latter. This facility will not be applicable in case of any late payment
6.50	पैनल ब्याज	6.50	PENAL INTEREST
	यदि मैसर्स एलीगियन्स कॉबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो दुर्बल आय वर्ग हेतु 7.50 प्रतिशत एवं अल्प आय वर्ग हेतु 10.50 प्रतिशत की वार्षिक दर से पैनल ब्याज सहित देय राशि का भुगतान करना होगा।		If the amount payable to M/s Allegiance Conbuild Private Limited is not paid within time, penal Interest for EWS category @ 7.50% and LIG category for @10.50% per annum shall be payable along with the Payable amount.
7.00	समर्पण / निरस्तीकरणः	7.00	Surrender / Cancellation
7.10	सामान्य परिस्थिति में लॉटरी ड्रा से पूर्व पंजीकरण धनराशि वापस नहीं की जायेगी। ड्रा से पूर्व पंजीकरण धनराशि वापिस के सम्बन्ध में निदेशक, मैसर्स एलीगियन्स कॉबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड का निर्णय अन्तिम होगा।	7.10	In normal circumstance the registration amount will not be refunded before lottery/draw. For refund of registration amount before the draw of Lottery, the decision of Director of M/s Allegiance Conbuild Private Limited, will be final.
7.20	यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन तिथि के 6 माह के अन्दर किया जाता है तथा नियम व शर्तों का उल्लघंन नहीं करता है तो उस स्थिति में पंजीकरण राशि की 10 प्रतिशत धनराशि	7.20	If any applicant surrenders the allotted flat within 6 Month of allotment and he/she is not a defaulter on account of any breach of any terms and conditions, Then 10% of the

	कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। धनराशि वापसी हेतु समस्त मूल प्रपत्र व मूल रसीद देनी होगी।			registration amount shall be forfeited And the balance amount shall be refunded without any Interest. All original documents and receipt will have to be submitted for refund.
7.30	यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन तिथि के 6 माह के अन्दर किया जाता है परन्तु आरक्षण राशि व देय किश्त जमा नहीं करता है अथवा किसी अन्य नियम व शर्तों के उल्लंघन के आधार पर मैसर्स एलीगियन्स कॉनबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाता है तो पंजीकरण राशि की 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।		7.30	If any applicant surrenders the allotted flat within 6 Months of allotment but does not pay allotment money and due installment amount or breaches any term & Conditions or his allotment is cancelled by M/s Allegiance Conbuild Private Limited on Account of any breach of any terms and condition. than 25% of the allotment amount shall be forfeited and the balance Amount shall be refunded without any interest.
7.40	आवंटन तिथि से 6 माह के पश्चात किसी भी प्रकार के समर्पण/निरस्तीकरण की दशा में सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि यदि कोई हो तो बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।		7.40	In case of any surrender/cancellation after 6 months from the date of allotment. The whole of registration money shall be forfeited and balance amount. if any. shall be refunded without interest.
7.50	यदि आवंटी कब्जे की निर्धारित तिथि तक भवन का कब्जा नहीं लेता है तो रू0 800/- प्रतिमाह चौकीदारी शुल्क देय होगा तथा प्रत्येक वर्ष में 01 अप्रैल से 10 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोतरी की जाती रहेगी एवं 3 माह तक कब्जा न लेने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं धारा 7.40 के अनुसार कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।		7.50	If the allottee does not take the possession of the flat on due date. Chowkidari charge @ Rs. 800/- per month shall be charged and will be increased automatically by 10% every year from 01 April. In case the possession is not taken till three months from the due date. Allotment shall be cancelled and action shall be taken as per clause 7.40 and balance amount would be refunded without interest.
7.60	भुगतान विवरण के अनुसार 3 त्रैमासिक किश्तें लगातार अदा न करने पर भवन का नियमानुसार आवंटन निरस्त करने का अधिकार मैसर्स एलीगियन्स कॉनबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड को होगा।		7.60	The M/s Allegiance Conbuild Private Limited shall have the right to cancel the Allotment of flat as per rule if there is default in payment of three consecutive installments according to the payment Schedule.
8.00	आय कोडः		8.00	Income Code:

	दुर्बल आय वर्गों हेतु आवेदक के परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रू0 3,00,000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं अल्प आय वर्गों हेतु आवेदक के परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रू0 6,00,000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदककर्ता को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। योजना के समय आय प्रमाण पत्र वैद्य होना चाहिए।					This Scheme EWS flats maximum income 3.00 lakh for all sources of family and Scheme LIG flats maximum income 6.00 lakh for all sources of family. Each applicant is required to produce the income Certificate issued by the competent authority of the State Govt. applicant required income certificate at time of submission		
9.00	कोटाः				9.00	QUOTA:		
9.10	शासनादेश के अनुसार निम्नानुसार आरक्षण की सुविधा दी जायेगी।					As per Govt. order reservation facility will be given in following way:		
क्रं.सं.	श्रेणी	कोड	प्रतिशत		S. No.	Quota Description	Code	Percentage
(क)	अनुसूचित जाति	02	21%		A	Scheduled Caste	02	21%
(ख)	अनुसूचित जन जाति	03	2%		B	Scheduled Tribe	03	2%
(ग)	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	27%		C	Other Backward Class	04	27%
(घ)	रक्षा कार्मिक एवं सरकारी कर्मचारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो				D	Defence Persons, Persons in Govt. Service who have attained the age of 50 years.		
	(अ) रक्षा कार्मिक (ब) सरकारी कर्मचारी	05 06	5%			Defence Persons Persons in Govt. Service	05 06	5%
(ड.)	(अ) स्वतन्त्रता सेनानी (ब) संसद सदस्य, विधानसभा/विधान परिषद सदस्य	08 09	5%			Freedom Fighters MP/MLA/MLC	08 09	5%
(च)	(अ) उ.प्र. विकास प्राधिकरण कर्मचारी (ब) सिटी बोर्ड कर्मचारी (स) उ.प्र. नगर निगम कर्मचारी (द) उ.प्र. जल संस्थान	10 11 12	2%			U.P. Development Authority Employees City Board Employees U.P. Nagar Nigam Employees	10 11 12 13	

	कर्मचारी (ध) उ.प्र. हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी (न) उ.प्र. नगर एवं ग्राम नियोजन के कर्मचारी (उ. प्र. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के वे कर्मचारी सम्मिलित होगे जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण की हो) (प) आवास बन्धु उ0प्र0 कर्मचारी (आवास बन्धु उ0प्र0 के वे कर्मचारी सम्मिलित होगें जिन्होंने कम से कम 2 वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो।)	13 14 15 16				U.P. Jal Sansthan Employees U.P. Housing Board Employees U.P. City Village planning's Employees (Those employees of U.P. City & Village Planning Department, who have Completed minimum 10 years in regular service will be included.) Awas Bandhu of U.P. Employees (Those employees of Awas Bandhu of U.P. who have completed minimum 2 years in regular service will be included).	14 15 16	2%
(ज)	भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	17	3%			Ex-Servicemen and their dependents	17	3%
9.2	क्षैतिज आरक्षण				9.20	Horizontal Reservation		
1	विकलांग आवेदकों को शासनादेश संख्या 786/8–1–08–25 विविध/07 दिनांक दिनांक 30.01.2008 एवं 3645/8–1–2011–25 विविध/07 दिनांक 19.12.2011 के अनुसार कुल घोषित भवनों की संख्या का 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा। विकलांग आवेदकों को विकलांग होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।				1	As per GO No. 786/8-1-08-25 vividh/07 dated 30.01.2008 and GO No. 3645/8-1-2011-25 vividh/07 Dated 19.12.2011. Handicapped applicants will be given 3% horizontal reservation of total flats. Such applicants are required to produce certificate of their being Handicapped.		
2	वरिष्ठ नागरिकों को कुल घोषित भवनों की संख्या का 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक होने से सम्बन्धी आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं आवेदन पत्र में आरक्षित कोटा कोड भी भरना अनिवार्य होगा वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य है कि योजना प्रारम्भ होने की तिथि को उसकी आयु 60 वर्ष से कम न हो।				2	Senior citizens will also get 10% horizontal reservation of total declared flats. Such applicants are required to produce age certificate with regard to senior citizen and enter quota code in application form. Senior citizen implies those applicants who are not below 60 years on the date of start of scheme.		

9.30	विकलांग एवं वरिष्ठ नागरिक होने का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और ड्रा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।		9.30	In case the applicant fails to produce handicapped or senior citizen certificate and other required documents issued by competent authority, the application will be declared invalid and shall not be included in draw.
10.00	सामान्य आवेदक		10.00	General Applicants
	आरक्षित श्रेणी के आवंटन के पश्चात शेष भवनों का आवंटन सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों के मध्य नियम 11.00 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदक अपने आवेदन पत्र की मद संख्या 16 के अन्तर्गत कोड 01 भरे।			After allotment of reserved category, remaining flats shall be allotted to the Persons registered under general category as per provision of point 11.00 of brochure applicant applying under general category should fill 01 as quota code in their applications against item No. 16 of the Application form.
11.00	ड्रा प्रक्रियाः		11.00	Draw Procedure:
11.10	योजना का लॉटरी लगभग 6 माह में किया जाना प्रस्तावित है।		11.10	Lottery Draw of the scheme is proposed within six Months.
11.20	योजना के ड्रा के समय उपस्थित होने के इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में मैनुअल प्रक्रिया द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण/उ0 प्र0 शासन द्वारा गठित समिति द्वारा ड्रा निकालकर भवन का आवंटन किया जायेगा। लॉटरी की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। उक्त सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी आवेदक द्वारा किसी भवन विशेष हेतु कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।		11.20	The reservation/allotment to flat will be made draw Ghaziabad Development Authority/ committee constituted by U.P Government in the presence of the applicants who wish to be present No information regarding date and place for lottery shall be given individually. This information shall be published in the newspaper/on website. No request for specific flat by any applicant shall be entertained.
12.00	असफल आवेदकः		12.00	Unsuccessful Applicants
12.10	जिन आवेदकों को भवन आवंटित नहीं हो पाते हैं और जिनकी जमा धनराशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए मैसर्स एलीगियन्स कॉनबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड के पास जमा है उन्हें पंजीकरण राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।		12.10	With regard to the unsuccessful applicants whose Deposit is lying with M/s Allegiance Conbuild Private Limited for less than 1 year, the Amount will be refunded without interest.
12.20	यदि मैसर्स एलीगियन्स कॉनबिल्ड प्राईवेट		12.20	If the draw is held within 1 year, no

	लिमिटेड द्वारा इस योजना का ड्रा पंजीकरण की अन्तिम तिथि के एक वर्ष के अन्दर कर लिया जाता है तो जमा पंजीकरण धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि ड्रा एक वर्ष पश्चात किया जाता है तो पंजीकरण की अन्तिम तिथि से ड्रा की तिथि तक 3.50 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा।			interest on deposit will be given, in case the draw is held after 1 year from the start of the scheme, 3.5% simple Interest from the last of registration will be given.
12.30	असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि आवेदक के बैंक खाते में एक माह के बाद ऑनलाईन अथवा बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा सम्बन्धित बैंक की नोडल शाखा के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।		12.30	The registration amount shall be refunded after One month of draw online by nodal branches through Draft/Cheque or Online in unsuccessful Applicants account.
13.00	मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों का छुपानाः		13.00	Representation or Suppression of Facts:
	यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनाएं दी गई है अथवा उसने किन्ही वास्तविक तथ्यों छुपाया है तो पंजीकरण के साथ–साथ भवन का अवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जयेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले ड्रा से वंचित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण राशि को जब्त कर लिया जायेगा।			If it is found that the applicant has given incorrect Information or suppressed any material fact. The Allotment will be cancelled without any Communication to the applicant and he/she will be debarred from participating in future draws. Further his/her registration amount shall be forfeited.
14.00	कब्जाः		15.00	Possession:
	इस योजना में भवन का कब्जा भवन की सम्पूर्ण धनराशि एवं लीज किराया जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध–विलेख पंजीयन के बाद दिया जायेगा। जिसका व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।			Possession of the houses shall be given to the allottee after deposit the full & final payment, lease rent and registration of agreement deed by him/her. The cost of sale or agreement deed shall be borne by the allottee.
14.10	आवंटी को समय–समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या भारत सरकार /उ0प्र0 सरकार द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लगाये जाते है, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय पर जमा करना होगा।		14.10	Allottee shall pay all the municipal taxes and any other taxes which may be charged by Central Government or UP Govt. any local bodies from time to time according to laws and bye-laws from the date of possession.
14.20	आवंटी विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बन्धित विभागों से अपने खर्चे		14.20	Allottee, himself/herself, will apply for the electricity/water connection to the

	पर स्वयं लेगा।			concerned department at his/her own expenses.
15.00	पट्टा विलेख		15.00	Lease Deed
	आवंटी को समस्त मूल्य जमा कराने के उपरान्त 3 महीने के अन्दर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराकर अपने खर्चे पर मैसर्स एलीगियन्स कॉनबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निर्धारित प्रारूप में पट्टा विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा मैसर्स एलीगियन्स कॉनबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड द्वारा तत्समय की गई दण्डात्मक कार्यवाही आवंटी को मान्य होगी।			Allotte, at his/her own cost must complete all formalities and get the lease deed execute and registered in proforma prescribed by the M/s Allegiance Conbuild Private Limited, within three months of paying full cost of the property otherwise allottee will face penal proceeding as per Laws of M/s Allegiance Conbuild Private Limited at that time.
16.00	भवनों का प्रयोगः		16.00	Use of Flats:
	आवंटी द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा।			The flat shall not be used for any other purpose for residential by to allottee.
17.00	अन्य महत्तवपूर्ण सूचनाएं		17.00	Other Important Notices
17.10	आंवटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार निदेशक, मैसर्स एलीगियन्स कॉनबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों / आवंटियों को मान्य होगा।		17.10	Director, M/s Allegiance Conbuild Private Limited, reserves the right to amend any terms and conditions of the scheme till the time of allotment and such amendement or amendments shall be acceptable and binding on the applicants/allottees.
17.20	तलिका 1 में दर्शाये गये भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है। योजना के कब्जा के समय भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन सम्भव है जो कि अन्तिम रूप से बाद में सूचित किया जायेगा जिसे आवंटी को स्वीकार करना होगा तथा उसके अनुसार भुगतान करना होगा।		17.20	Area of flats shown in table-1 may change at the time of actual Possession of the scheme. Changed area, will be acceptable to the allottee and payment shall be made accordingly.
17.30	इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर निदेशक, मैसर्स एलीगियन्स कॉनबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड का निर्णय अन्तिम होगा।		17.30	Decision of the Director, M/s Allegiance Conbuild Private Limited will be final in every matter regarding this scheme.
17.40	किसी भी विवाद की दशा में न्यायालय गाजियाबाद को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।		17.40	Ghaziabad courts shall have exclusive jurisdiction in case of any disputes.

तालिका–2 : आजीविका एवं उनके कोड

Table - 2: OCCUPATION & OTHERS CODES

आजीविका का विवरण		आजीविका का कोड
Description of Occupation		Occupation Code
Services	सेवा	
Service in State /Central Govt.	राज्य/केन्द्रीय सरकार में सेवा	10
Service in public sector	सार्वजनिक क्षेत्र में सेवा	11
Service in Private Sector	निजी क्षेत्र में सेवा	12
Service in Armed force	सशस्त्र सेवाओ में सेवा	13
Service in School	विद्यालयों में सेवा	14
Service in College /University	महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में सेवा	15
Domestice Service	घरेलू सेवा	16
Other Service	अन्य सेवा	17
Business	व्यवसाय	
Traders	व्यवसायी	20
Business Executive Director	व्यवसाय कार्यकारी/निदेशक	21
Business owner	व्यवसायी स्वामी	22
Industrilist	उद्योगपति	23
Other Business	अन्य व्यवसाय	29
AGRICULTURE	कृषि	
Agriculturist	कृषक	30
Farmer	किसान	31
Agriculture Labourer	कृषि मजदूर	32
SELF Employed	स्वतः रोजगारी	
Self Emlopyeed Doctor	स्वतः रोजागरी डॉक्टर	40
Self Emlopyeed Engineer	स्वतः रोजगारी इन्जीनियर	41
Self Emlopyeed Advocate	स्वतः रोजगारी एडवोकेट	42
Self Emlopyeed Chartered Accountant	स्वतः रोजगारी चार्टर्ड एकाउन्टेंट	43
Self Emlopyeed Vendor	स्वतः रोजगारी विक्रेता	44
Self Emlopyeed Agent	स्वतः रोजगारी एजेंट	45
Other Self Emlopyeed Persons	अन्य स्वतः रोजगारी व्यक्ति	49
DEPARMENT /FIRM	विभाग/फर्म	
Government Department	सरकारी फर्म	50
Government Undertaking	सरकारी निकाय	51
Limited/Private Limited Company	लिमिटेड/प्रा0लि0 कम्पनी	52
Partnership Firm	सझेदारी फर्म	53
Charitable Institution	धर्मार्थ संस्था	54
Other Department/Firm/Institution	अन्य विभाग/फर्म/संस्था	59
OTHER	अन्य	
Occupation not covered by above	उपर्युक्त से पृथक आजीविकाएं	98

भवनों की तालिका संख्या–1

क्रं0 सं0	योजना का नाम	सम्पत्ति श्रेणी	भवन का मूल्य (रू0 में)	अधिकतम वार्षिक आय (लाख में)	अनुमानित कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	अनुमानित बिल्टअप क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	पंजीकरण राशि (रू0 50 पंजीकरण शुल्क सहित) रू0 में		भवनों की संख्या
							राज्य सरकार द्वारा घोषित आरक्षित श्रेणी हेतु (रू0 में)	अन्य सभी आवेदकों हेतु (रू. में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पार्क टाउन, इन्टीग्रेटेड टाउनशिप	दुर्बल आय वर्ग (EWS)	4,95,000 / –	3.00	22.642	25.00	24,800 / –	49,550 / –	24
2.		अल्प आय वर्ग (LIG)	10,67,000 / –	6.00	31.38	35.00	53,400 / –	1,06,750 / –	24

नोटः तलों के लिये कोई वरियता नहीं है, लॉटरी एक साथ सभी तलों के भवनों को मिलाकर डाली जायेगी।

FLATS TABLE No. 1

SL. No.	Scheme Name	Property Category	Price of Flat (in Rs.)	Max. Yearly Income (in Lakh)	Carpet Area Approx. (Sq. Mtr.)	Built-up Area Approx. (Sq. Mtr.)	Registration Amount (Including Registration Fees of Rs. 50/-) (in Rs.)		No. of Flats
							Reservation Categories decided by the State Govt. (Rs.)	For all other applicants (Rs.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Park Town, Integrated Township	Economic Weaker Section (EWS)	4,95,000/-	3.00	22.642	25.00	24,800/-	49,550/-	24
2		Lower Income Group (LIG)	10,67,000/-	6.00	31.38	35.00	53,400	1,06,750/-	24

Note: There is no priority of floors and lottery of flats of all floors shall be done together.

म्द	**प्रभार शुल्क** *
इन्ट्रेस्ट फ्री मेन्टनेंस सिक्योरिटी (वन टाइम)	एलआईजी–रू0 4,800/– ईडब्लूएस– रू0 3,000/–

Account	Charge Fee*
Interest free maintenance security (one time)	LIG – Rs. 4,800/- EWS – Rs. 3,000/-

SPECIFICATIONS - EWS/LIG VRINDA HOMES-I, SHAHPUR BAMHETA, GHAZIABAD, UP

Living/Dining		
Flooring	-	Tiles 300mm * 300mm
Walls	-	White Wash
Door	-	Flush Doors with M.S. Frames
Windows	-	MSZ Section
Bedrooms		
Flooring	-	Tiles 300mm * 300mm
Walls	-	White Wash
Door	-	Flush Doors with M.S. Frames
Windows	-	MSZ Section
Kitchen		
Flooring	-	Tiles 300mm * 300mm
Walls	-	White Wash
Toilets		
Flooring	-	Tiles 300mm * 300mm
Walls	-	White Wash
Door	-	Flush Doors with M.S. Frames
Windows	-	MSZ Section
Corridor/Lobby		
Flooring	-	Tiles 300mm * 300mm
Walls	-	White Wash
External Finish	-	Paint Finish
Balcony		
Flooring	-	Tiles 300mm * 300 mm
Super Structure	-	RCC Framed Structure

Unit Plan of EWS Flats:

Carpet Area = 22.642 SQM

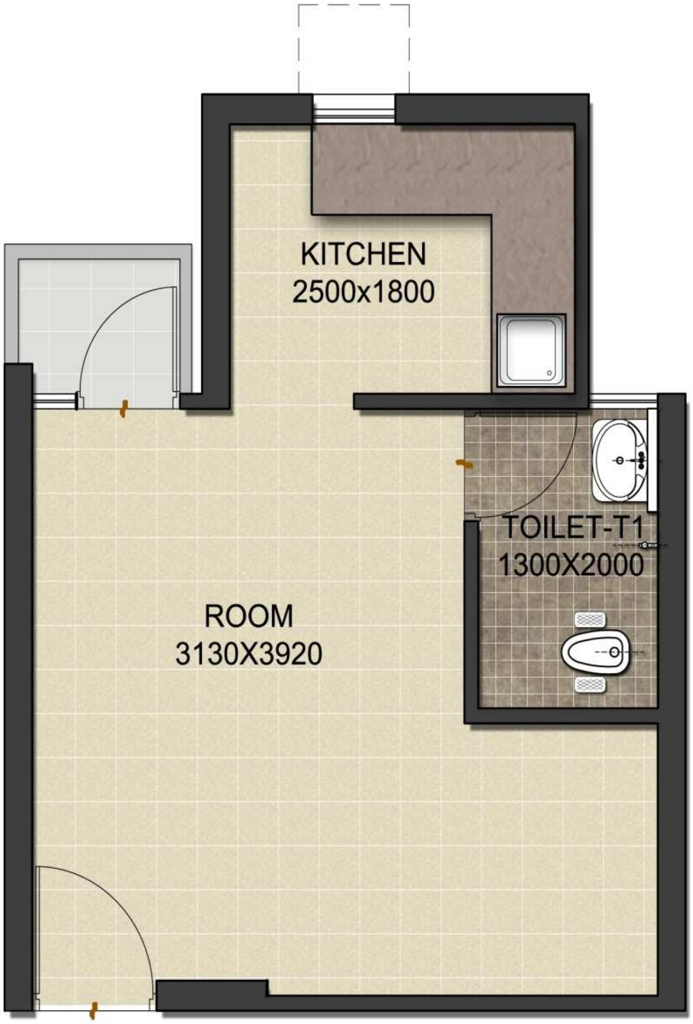

Unit Plan of LIG Flats:

Carpet Area= 31.38 SQM